

## शोध के क्षेत्र में साहित्यिक चोरी का प्रभाव: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

\*<sup>1</sup> प्रतिभा यादव एंव <sup>2</sup>डॉ नितिन बाजपेयी

\*<sup>1</sup> शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत।

<sup>2</sup> सहायक प्रोफेसर बी0एड0 विभाग, महाराणा प्रताप राजकीय स्कॉलर महाविद्यालय, हरदोई, उत्तर प्रदेश, भारत।

### Article Info.

E-ISSN: 2583-6528

Impact Factor (SJIF): 5.231

Peer Reviewed Journal

Available online:

[www.alladvancejournal.com](http://www.alladvancejournal.com)

Received: 11/July/2024

Accepted: 22/Aug/2024

### सारांश:

इंटरनेट और उस पर उपलब्ध सामग्री की सर्वसुलभता ने साहित्यिक चोरी की संभावना को बढ़ा दिया है डिजिटल सामग्री की उपलब्धता ने कॉपी पेस्ट के अवसरों को आसान बना दिया है इसके साथ ही शोधकर्ताओं में शोध कौशल की कमी, प्रेरणा की कमी, अज्ञानता, आलस्य, कैरियर दबाव, अकादमिक दबाव, सहकर्मी दबाव और साहित्यिक चोरी कानून में शिथिलता आदि ने शैक्षिक एवं अनुसंधान के क्षेत्र में साहित्यिक चोरी को बढ़ावा दिया है जो एक गंभीर अपराध होते हुए भी सामान्यतः प्रचलन में है और यह शैक्षिक अकादमिक अखंडता, नैतिकता, पारदर्शिता का उल्लंघन है जो एक गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है जिसके लिए विभिन्न कानूनों व दिशा निर्देशों का निर्माण किया गया है आवश्यकता इनके कड़ाई से पालन तथा त्वरित व कड़ी दंड व्यवस्था के अनुपालन से है साहित्यिक चोरी रुके इसके लिए इसके कुप्रभाव एवं हानि तथा परिणामों के प्रति शोधकर्ताओं को जागरूक किया जाए पाठ्यक्रम में शोध नैतिकता के पाठ को आवश्यक रूप से पढ़ाया जाए तथा विश्वविद्यालयों को इसकी गंभीरता को समझते हुए अपने निगरानी तंत्र को इतना मजबूत करना चाहिए की चोरी करने वाले किसी भी तरह से बच ना पाए। सामान्यतः देखा गया है कि विश्वविद्यालय शोध छात्रों से ही साहित्यिक चोरी की रिपोर्ट लाने को कहते हैं जिससे वह स्वयं से जांच कर उसकी पैराफ्रेजिंग एवं रिपोर्ट में बदलाव आदि उपायों को अपनाकर रिपोर्ट सुधार लेते हैं। जब कि होना यह चाहिए कि विश्वविद्यालय शोध प्रस्ताव से लेकर शोध प्रबंध तक स्वयं की जांच प्रणाली का प्रयोग कर रिपोर्ट बनानी चाहिए और चोरी पकड़े जाने पर यूजीसी दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यावाही करते हुए साहित्यिक चोरों को एक कड़ा संदेश देना चाहिए। साहित्यिक चोरी की प्रेरणा तब और मिलती है जब चोरी सफल हो जाती है। अतः शोध पत्रों के प्रकाशन से लेकर शोध प्रबंध को पास होने तक सभी प्रकार की साहित्यिक चोरी पर निगरानी अवश्य रखनी चाहिए और दंडित करना चाहिए ताकि शोध के क्षेत्र की इस समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके। प्रस्तुत शोध आलेख साहित्यिक चोरी का अर्थ, प्रकार, प्रभाव, परिणाम और कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण कर अनुसंधान क्षेत्र की इस समस्या के प्रति जागरूकता और समाधान प्रस्तुत करता है।

### \*Corresponding Author

प्रतिभा यादव

शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र, जीवाजी

विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत।

**मुख्य शब्द:** शोध, साहित्यिक चोरी, यूजीसी विनियम 2018, प्लेगरिज्म उपकरण

### प्रस्तावना:

शोध किसी नये ज्ञान को खोजने, पुराने ज्ञान में सुधार करने, ज्ञान में रिक्ति को भरने तथा समस्या समाधान करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है इसे हम नवीन ज्ञान सृजन की आधुनिक विधि कह सकते हैं जिससे प्राप्त होने वाले परिणाम किसी देश के समग्र विकास के लिये आवश्यक है शोध जीवन के प्रत्येक विषय एवं क्षेत्र में किये जाते हैं जिसमें एक निश्चित प्रक्रिया जैसे समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण, ऑकड़ो का संग्रह एवं विश्लेषण तथा परिणाम एवं निष्कर्ष का प्रस्तुतीकरण शामिल होता है इन शोध पदों का प्रयोग करके शोधार्थी शोध के लक्ष्यों तक पहुँचते हैं। शोध देश के विकास के रीढ़

की हड्डी है जिस देश में जितने अधिक शोध होते हैं वह देश उतना अधिक विकास करता है क्योंकि ज्ञान निर्माण में अनुसंधान की महत्ती भूमिका है जिसके परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता को नवाचार, मौलिक विचार, नीति निर्माण, सामाजिक सुधार, शैक्षिक विकास, तकनीकी विकास, आर्थिक विकास, वैज्ञानिक खोज, स्त्रोत व संसाधनों का प्रबन्धन सामाजिक एवं सांस्कृतिक समाज, स्वास्थ्य सुधार, डाटा प्रबंधन, कॉर्मस साइबर सुरक्षा, संभावित संकट प्रबंधन, वैश्विक चुनौतियों का समाधान, पर्यावरण संरक्षण आदि में सहायता मिलती है आज अनुसंधानों का ही परिणाम है कि हम समुद्र की गहराई से अंतरिक्ष की ऊंचाई तक अनेक रहस्य को सुलझा चुके हैं।

और अनवरत इसके लिए प्रयासरत हैं अनुसंधानों ने मानव जीवन को क्रांतिकारी ढंग से रूपांतरित किया है यह निर्माण एवं विधंस दोनों के लिए जिम्मेदार है। आज विश्व के प्रत्येक देश में शोध को बढ़ावा देने की होड़ मची है विकसित देश तो अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा भाग शोध हेतु खर्च करते हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में यह जी0डी0पी0 का 2.8% तथा चीन में 2.1% इजराइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.02% है लगभग कई देश शोध और नवाचार में जीडीपी का कम से कम 3% निवेश करते हैं हालांकि भारत में शोध एवं नवाचार में 2014 में जी0डी0पी0 का .69% ही था जो आज तक लगभग उतना ही बना हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर से अनुसंधान संस्थान (N.R.F) स्थापित करने तथा जीडीपी का 1% का वार्षिक अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया। जिसके द्वारा विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक विज्ञान तथा कला और मानविकी आदि विषयों में शोधों को बढ़ाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दस्तावेज)

**निष्कर्षतः** देश चाहे कोई भी हो सभी शोध के महत्व को समझ रहे हैं और शोध करने के लिए लोगों को बजट प्रोत्साहन और प्रेरणा दे रहे हैं परंतु वर्तमान में साहित्यिक चोरी की समस्या शोध की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है जिस स्तर पर सरकारे शोध को बढ़ावा व बजट दे रही हैं, शोध तो बढ़ें हैं परंतु उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि शोधकर्ताओं में चोरी की प्रवृत्ति बढ़ी है और यह इस कदर बढ़ चुकी है कि इसके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़े कानून बनाए गए हैं कई साहित्यिक चोरी पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर भी निर्मित किए गए हैं इसके साथ ही समेकित डेटाबेस भी तैयार किया गया जिससे साहित्यिक चोरी को रोका जा सके और शोध की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।

## साहित्यिक चोरी

साहित्यिक चोरी का तात्पर्य किसी और के काम को बिना उचित श्रेय अपने प्रयोग में लाना है इससे ऐसा लगता है जैसे यह उसे शोधकर्ता के शब्द विचार या कार्य हैं जबकि वास्तव में उस शोधकर्ता ने किसी और के विचार या कार्य को पुनः प्रस्तुत किया है साहित्यिक चोरी सभी प्रकार की पांडुलिपियों पर लागू है पांडुलिपि के अंतर्गत शोध लेख, शोध निबंध, शोध पत्र, पुस्तकों में अध्याय, संपर्ण पुस्तकें तथा शोध प्रबंध आदि जो उच्चतर शिक्षा संस्थान के छात्रों या संकाय या शोधकर्ता या कर्मचारी द्वारा निष्णात एवं शोध स्तर की डिग्रियों को प्राप्त करने या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन हेतु किया जाए।

## साहित्यिक चोरी के उदाहरण

- किसी लेखन के भाग को बिना उध्दरण चिन्हों के शब्दशः कॉपी करना।
- किसी स्रोत के विषय में गलत सूचना देना।
- स्रोत का हवाला दिए बिना कुछ शब्दों को बदलकर या वाक्य की संरचना को बदलकर पाठ का सार प्रस्तुत करना।
- किसी स्रोत से इतना उध्दरण देना कि वह शोधकर्ता के पाठ का अधिकांश भाग बन जाए।
- अपने ही किसी पुराने कार्य का स्वयं का उल्लेख किए बिना पुनः उपयोग या प्रकाशित करना।
- किसी अन्य शोधकर्ता के कार्य को अपने नाम से प्रस्तुत करना।
- किसी विदेशी भाषा की सामग्री को अनुवादित करके उसे अपने काम में शामिल करना बिना यह बताएं कि यह किसी अन्य स्रोत से लिया गया है।
- किसी विशिष्ट अवधारणा या सिद्धांत को बिना संदर्भ के अपने काम में शामिल करना।

- ऑनलाइन उपलब्ध लेख ब्लॉग या वेबसाइट की सामग्री को बिना अनुमति या संदर्भ के अपने काम में शामिल करना।
- फुटनोट या एंडनोट के बिना किसी अन्य लेखक के विचार अंकड़े या तथ्य का उपयोग करना।
- यदि वेब सामग्री से जानकारी ली गई है तो स्रोत की हाइपरलिंक को शामिल किए बिना उस सामग्री को अपने काम में प्रस्तुत करना।
- किसी अन्य लेखक के काम की संरचना, स्वरूप या स्थिति को पूरी तरह से अपने काम में अपनाना।
- किसी दस्तावेज या लेख के संक्षिप्त विवरण टेंपलेट्स या प्रेजेनेशन स्लाइड्स को बिना संदर्भ के अपनाना।
- किसी अन्य के अनुसंधान निष्कर्षों और विश्लेषणों का उपयोग अपने काम में बिना उचित संदर्भ के करना।
- किसी शोध उपकरण या तकनीक को बिना अनुमति के उपयोग करना।
- किसी वेबसाइट या स्रोत से पूरा लेख या सामग्री को कॉपी करके (क्लोनिंग कंटेंट) अपने नाम से प्रस्तुत करना।
- किसी लेखक की शैली, भाषा, स्वर या विशिष्ट विचारधारा को बिना अनुमति के और बिना क्रेडिट के अपनाना जो मूल लेखक की पहचान से जुड़ी होती है।
- किसी अन्य लेखक की निजी या अप्रकाशित सामग्री को सार्वजनिक रूप से बिना अनुमति के उपयोग करना।
- चोरी की गई सामग्री को किसी नई मीडिया या मंच पर त्वरित रूप से प्रकाशित करना जिससे मूल लेखक को श्रेय नहीं मिलता।
- किसी पर्व में प्रकाशित काम को नए संस्करण के रूप में प्रस्तुत करना बिना यह बताएं कि है पहले से प्रकाशित हो चुका है।
- किसी दूसरे शोधकर्ता के विचारों को एक अलग संदर्भ में बिना मूल संदर्भ के उपयोग करना और इसे खुद के रूप में प्रस्तुत करना।

इन साहित्यिक चोरी के उदाहरणों से स्पष्ट है की साहित्यिक चोरी के कई रूप हो सकते हैं जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की सामग्री शामिल है और यह एक व्यापक मुद्दा होता है जो सभी प्रकार के साहित्यिक और शैक्षणिक कार्यों में लागू हो सकता है जिसमें सामग्री विचार और प्रस्तुतियों की चोरी शामिल होती है साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए हमेशा उचित संदर्भ देना, स्रोत का सम्मान करना, नैतिक लेखन प्रथाओं का पालन करना तथा स्पष्टता, पारदर्शिता और ईमानदारी व मूल लेखों का हवाला देना चाहिए।

## साहित्यिक चोरी के प्रकार

उपरोक्त उदाहरणों की सहायता से हम साहित्यिक चोरी के निम्न प्रकार पाते हैं-

- **पूर्ण साहित्यिक चोरी:** किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए लेख को अपना कार्य बता कर प्रस्तुत करना या अपने कार्य को किसी और से लिखवाना यह साहित्यिक चोरी का सबसे गंभीर प्रकार है इसे हमें बौद्धिक संपदा चोरी (आईपी चोरी) के समान मानते हैं।
- **शब्दशः साहित्यिक चोरी:** जब कोई किसी स्रोत से अंशों को कॉपी करके सीधे अपने काम में पेस्ट करते हैं तो वह सब शब्दशः साहित्यिक चोरी मानी जाती है इसे हम प्रत्यक्ष चोरी भी कहते हैं जिसमें किसी अन्य के लिखित या डिजिटल सामग्री को बिना किसी परिवर्तन के और बिना अनुमति के सीधे अपने काम में इस्तेमाल करते हैं।

- मोजेक या पैचर्क चोरी:** अलग-अलग स्रोतों से सामग्री के छोटे-छोटे अंशों को मिलाकर बिना उचित संदर्भ के प्रयोग करना मोजेक चोरी कहलाता है इस तरह की चोरी जानबूझ कर की जाती है और पता लगाना मुश्किल होता है हम अपने शोध से संबंध रखने वाले शोधों से विचारों व सामग्री को लेकर प्रयोग कर लेते हैं।
- पैराफ्रेसिंग साहित्यिक चोरी:** मूल सामग्री के शब्दों को थोड़ा बदलकर बिना संदर्भ के इस्तेमाल करना यह साहित्यिक चोरी का आम प्रकार है।
- आकस्मिक साहित्यिक चोरी:** इस प्रकार की साहित्यिक चोरी अनजाने में या लापरवाही अथवा जानबूझकर शब्दों के अर्थ बदल देने से होती है और छात्रों के काम में यह अधिकांशतः होती है।
- आत्म साहित्यिक चोरी:** अपने पिछले प्रकाशित या प्रस्तुत कार्य को बिना यह बताएं कि यह पहले से प्रकाशित है नए काम के रूप में प्रकाशित करना हालांकि स्वयं साहित्यिक चोरी को किसी और के काम की नकल करने जितना गंभीर नहीं माना जा सकता फिर भी यह अकादमिक बेर्इमानी का एक रूप है इसके परिणाम अन्य प्रकार की साहित्यिक चोरी जैसे ही हो सकते हैं।

### शोध की गुणवत्ता में साहित्यिक चोरी का कुप्रभाव

साहित्यिक चोरी एक गंभीर अपराध है जिसके हानिकारक परिणाम हो सकते हैं यह एक अनैतिक व्यवहार या अभ्यास है जो शोध की मूल भावना को और उसे प्राप्त लाभों को बाधित करता है जिसको निम्न प्रकार से समझ सकते हैं -

- शोधों से प्राप्त परिणाम अनुपयोगी:** जब शोध में मौलिकता नहीं होती है तो वह किसी अन्य के कार्य की पुनर्प्राप्ति मात्र ही रह जाता है तो ऐसे शोध की कोई उपयोगिता नहीं होती।
- शोध द्वारा वास्तविक योगदान का अभाव:** साहित्यिक चोरी करने पर शोधकर्ता किसी नवीन विचार या निष्कर्ष का विकास नहीं कर पाते हैं जिससे ज्ञान के विस्तार में योगदान कम हो जाता है।
- शोधों में नवोन्मेष की कमी:** साहित्यिक चोरी नवाचार की भावना को क्षीण करती है जिससे वैज्ञानिक और साहित्यिक उन्नत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- शोध द्वारा समस्या समाधान संभव नहीं:** ऐसे शोधों का समस्या समाधान में कोई योगदान नहीं होता है जो पहले से प्राप्त परिणाम ही देते हैं अर्थात् साहित्यिक चोरी के फलस्वरूप उनका योगदान नगण्य होता है जिससे किसी नवीन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है।
- शोध में गहन विश्लेषण की कमी:** जब शोधकर्ता अन्य स्रोतों से सीधे सामाग्री लेते हैं तो यह दिखता है कि उन्होंने विषय का गहन विश्लेषण या समझ हासिल नहीं की है जिसके फलस्वरूप शोध के परिणाम में भी शुद्धता नहीं होती है और इस प्रकार के शोध कम गुणवत्ता वाले होते हैं।
- शोध संबंधित नैतिक मुद्दे:** एक गुणवत्ता पूर्ण शोध तभी संभव है जब उसमें नैतिकता का पालन किया जाए चाहे वह समस्या का चयन हो, शोध विधि हो, आंकड़ा संकलन हो, विश्लेषण या विवेचन हो सभी शोधकर्ता द्वारा धैर्य पूर्वक गंभीरता से स्वयं के द्वारा किए गए हो तभी शोध से वास्तविक परिणाम प्राप्त होंगे साहित्यिक चोरी के परिणाम स्वरूप नैतिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं जो शोध की समग्र गुणवत्ता और अकादमिक समुदाय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
- शोधों में पारदर्शिता की कमी:** शोध की पारदर्शिता और प्रमाणिकता साहित्यिक चोरी के कारण प्रभावित होती है पाठक

- और सहकर्मी परिणाम और निष्पक्षता के बारे में आश्वस्त नहीं हो पाते फलस्वरूप उस शोध पर विश्वास और उसे स्वीकार नहीं करते इस कारण शोध उपयोगी नहीं रह जाता।
- अनुदान और वित्त पोषण पर कुप्रभाव:** साहित्यिक चोरी के कारण वित्तपोषण संस्थान शोध परियोजनाओं में धन लगाने से हिचकिचाते हैं जिससे महत्वपूर्ण शोध कार्यों में बाधा आ सकती है एक या कुछ शोधों में साहित्यिक चोरी अन्य शोधों की गुणवत्ता अनुदान व वित्तपोषण बाधित होने से हो सकती है।
- अन्य शोधकर्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव:** एक बार साहित्यिक चोरी का पता चलने पर उसे क्षेत्र में काम करने वाले अन्य शोधकर्ताओं के काम की भी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं जिससे उनके शोध की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- शोध के दोहराव का प्रभाव:** साहित्यिक चोरी के कारण शोध कार्य में दोहराव की संभावना बढ़ जाती है जिससे संसाधनों का अनावश्यक उपयोग होता है और उसके परिणाम भी निष्प्रयोज्य होते हैं जो किसी नए ज्ञान में ना तो वृद्धि करते हैं और नहीं किसी समस्या समाधान में सहायक होते हैं।
- प्रतिष्ठित संस्थानों की प्रतिष्ठा पर प्रभाव:** जब प्रतिष्ठित संस्थानों के शोधकर्ता साहित्यिक चोरी में शामिल होते हैं तो संस्थान की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- शोध लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल:** साहित्यिक चोरी के कारण शोधकर्ता अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते फलस्वरूप शोध लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती है।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन:** साहित्यिक चोरी के कारण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानूनों का उल्लंघन होता है जिससे कानूनी विवाद और प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
- आर्थिक हानि:** साहित्यिक चोरी के मामलों की जांच और निपटान में संस्थाओं की वित्तीय संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है जो की अन्य अनुसंधान पहलू में लगाया जा सकता था इसका कुप्रभाव नए शोधों के प्रोत्साहन पर पड़ता है।
- शोधकर्ताओं की नैतिकता पर प्रभाव:** साहित्यिक चोरी से शोधकर्ताओं की नैतिकता और कैरियर पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं एक बार साहित्यिक चोरी का पता लगने पर इस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य शोधकर्ताओं की काम की भी विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं।
- अनैतिक अनुसंधान प्रथाओं को बढ़ावा:** साहित्यिक चोरी एक अनैतिक अनुसंधान संस्कृत को बढ़ावा देती है जिसमें दूसरे के कार्यों को उचित श्रेय नहीं दिया जाता।
- शोध की वैधता में कमी:** साहित्यिक चोरी से शोध के निष्कर्ष संदिग्ध हो जाते हैं जिससे शोध की वैधता और विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
- अनुशासनात्मक कार्यवाही:** साहित्यिक चोरी के मामलों में अकादमिक संस्थाओं द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है जो दंड, जांच और शोध निष्कासन के रूप में हो सकती है।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर प्रभाव:** साहित्यिक चोरी के कारण अंतर्राष्ट्रीय शोध सहयोग और साझेदारी को भी प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि संस्थान और शोधकर्ता ऐसे सहयोग से बचते हैं जो नैतिक समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं।
- अकादमिक प्रतिष्ठा में गिरावट:** साहित्यिक चोरी के पहचान के होने से संबंधित संस्थान तथा शोधकर्ता दोनों की प्रतिष्ठा में गिरावट होती है जो आगामी अनुसंधानों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं।

**साहित्यिक चोरी रोकने के उपाय:** साहित्यिक चोरी एक गंभीर समस्या है जो किसी भी तरह से उचित नहीं है इसको रोकने के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं:-

- 1. कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पंजीकरण:** लेखकों एवं शोधकर्ताओं को अपनी रचनात्मक कृतियां जैसे कि लेखन डिजाइन और लोगों का कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के माध्यम से पंजीकृत करना चाहिए।
- 2. कानूनी दस्तावेज़:** अपनी कृतियों के साथ स्पष्ट कानूनी दस्तावेज़ रखना चाहिए जो उसका मालिकाना हक और मौलिकता को साबित करें।
- 3. वाटरमार्क और डिजिटल सिग्नेचर:** लेखकों व शोधकर्ताओं को डिजिटल सामग्री पर वाटर मार्क या डिजिटल सिग्नेचर लगाये ताकि चोरी होने पर उसके अधिकार को आसानी से साबित किया जा सके।
- 4. कानूनी सलाह:** यदि किसी ने शोधकर्ता या लेखक की सामग्री की चोरी की है तो उसे बौद्धिक संपदा कानून विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए और आवश्यक कानूनी कदम उठाने चाहिए।
- 5. डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा:** लेखकों को अपनी डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड और अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाना चाहिए।
- 6. बौद्धिक संपदा अधिकारों की जागरूकता बढ़ाना:** लेखक व शोधकर्ताओं के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों और कानूनों की जागरूकता को बढ़ाएं। जिससे वे सतर्क रहें साथ ही वे लोग जो साहित्यिक चोरी कर सकते हैं उनमें भी भय उत्पन्न करें।
- 7. छोट का उद्धरण:** शोधकर्ताओं को दूसरों की सामग्री का उपयोग करते समय उचित उद्धरण करना चाहिए। इससे लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी की सामग्री मौलिक है या संदर्भित है।
- 8. ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म का चुनाव:** विश्वसनीय और सुरक्षित ऑनलाइन पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें जो काम की सुरक्षा और नकल से बचाव के लिए बेहतर नीतियां अपनाते हैं।
- 9. ट्रेडमार्क और पेटेंट:** यदि शोधकर्ताओं की रचना विशिष्ट और नवीन है तो उन्हें ट्रेडमार्क और पेटेंट द्वारा संरक्षित करना चाहिए।
- 10. प्रेस रिलीज और घोषणाएं:** शोध लेखकों को अपनी नई रचनाओं की प्रेस रिलीज और घोषणाएं करनी चाहिए जिससे सामग्री की उत्पत्ति और तारीख को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित किया जा सके।
- 11. संविदा और अनुबंध:** शोधकर्ताओं को प्रकाशकों, संपादकों या अन्य सहयोगियों के साथ स्पष्ट अनुबंध और समझौता की व्यवस्था करनी चाहिए जिनमें बौद्धिक संपदा के अधिकार और उपयोग की शर्तें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हो।
- 12. ऑथेटिकेशन तकनीकी:** शोधकर्ता अपनी सामग्री में ऑथेटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जैसे कि ब्लॉकचेन जो सामग्री के स्वामित्व और परिवर्तन को टैक कर सकती है।
- 13. साहित्यिक जर्नल्स और पब्लिशर्स:** प्रतिष्ठित साहित्यिक जर्नल्स और पब्लिशर्स के साथ काम करें जो सामग्री की सुरक्षा के प्रति गंभीर होते हैं और चोरी के मामलों में मदद कर सकते हैं।
- 14. शोध कार्य में फुटनोट एवं एंडनोट का उपयोग:** सभी शोधकर्ताओं को अपने शोध लेखन में प्रयुक्त सामग्री का फुटनोट एवं एंडनोट में उद्धरण देना चाहिए ऐसा करके साहित्यिक चोरी से बच सकते हैं साथ ही सामग्री के मूल लेखक के प्रति सम्मान भी व्यक्त होता है जिसका प्रयोग शोधकर्ता ने अपना तर्क देने में किया है।
- 15. साहित्यिक चोरी जांच उपकरण का उपयोग:** आज शोध लेखन की जांच के लिए कई साहित्यिक चोरी जांच उपकरण

उपलब्ध हैं जो कार्य में समानता और मौलिकता की जांच को प्रमाणित करने में मदद करते हैं इनमें से कुछ प्रमुख प्लेगिरिज्म चेकर टूल निम्न हैं-

1. SmallSeoTool.com
2. Plagiarismchecker.co
3. Plagiarismdetecor.net
4. Turnitin
5. Drillbit
6. Scrib
7. Gramarily
8. Unicheck
9. Copyleacks
10. Duplchecker
11. Copyscapce
12. Checkplegiarism.com
13. viper
14. urkund

इन उपकरणों की सहायता से कंटेंट कितना ओरिजिनल और यूनिक है इसकी जांच कर सकते हैं। यह ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सबमिट किए गए पाठ की तुलना स्रोतों के विशाल डेटाबेस से करवाते हैं और किसी भी संभावित मिलान को हाइलाइट करता है।

उपरोक्त बताए तरीके रणनीतियों और सतर्कताओं से शोधकर्ता साहित्यिक चोरी से बचाव कर सकता है तथा शोध नैतिकता अखंडता और मानकों को बनाए रख सकता है जिससे शोध की वैधता एवं विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

- 16. कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम:** साहित्यिक चोरी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और छात्रों शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों के बीच नैतिक अनुसंधान प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई विश्वविद्यालय व संस्थाएं इन विषयों पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं।
- 17. शोध गंगा:** 2009 के यूजीसी नियमों के अनुसार सभी विश्वविद्यालय और संस्थान जो पी0एच-डी0 की डिग्री प्रदान करते हैं उन्हें शोध प्रबंध (थीसिस) की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ INFLIBNET को जमा करनी होगी। शोध गंगा मंच शोधकर्ता को शोध की पुनरावृत्ति रोकने व साहित्यिक चोरी पकड़ने में डेटाबेस उपयोग में सहायता करता है।
- 18. शोध शुद्धि:** 21 सितंबर 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने शोध शुद्धि सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है शोध शुद्धि साहित्यिक चोरी निरोधी सॉफ्टवेयर है यह यूजीसी के एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र (IUC) तथा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क INFLIBNET द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। यह सेवा शुरू में लगभग 1000 विश्वविद्यालय संस्थाओं एक डीम्ड विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थानों को प्रदान की जा रही है जो उरकुंड और टर्निटिन के माध्यम से साहित्यिक चोरी की जांच करता है इन सॉफ्टवेयर के साथ अनुबंध 30 सितंबर 2023 तक था। 1 अक्टूबर 2023 से INFLIBNET अब शोध शुद्धि पहल के रूप में उच्च शिक्षा संस्थानों को डिलिबिट एक्सट्रीम प्लेगिरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर प्रदान करता है।

साहित्यिक चोरी रोकने के लिए किए गए कानूनी प्रावधान साहित्यिक चोरी अनुसंधान लेखन की एक गंभीर समस्या है जिसका लाभ लोग आलस्य, अज्ञानता, शोध कौशल की कमी, अवसर और इस पर नियंत्रण और दंड की कमी के कारण अकसर लेते रहें हैं जिसको रोकने के लिए कड़ाई से नियम लागू किए जाने चाहिए। समय-समय पर लागू किए गए कानून प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- कॉपीराइट अधिनियम 1957:** यह अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1957 में पारित किया गया था और 21 जनवरी 1958 को लागू किया गया था समय-समय पर इसमें संशोधन करके इसे प्रभावी बनाया गया इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रचनाकारों को उनकी रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा पर अधिकार प्रदान करना और उनका दुरुपयोग रोकना है इसके तहत किसी भी साहित्यिक, नाटकीय संगीत और कलात्मक कार्य पर कॉपीराइट होता है अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य के कार्य को बिना अनुमति के कॉपी करता है या उपयोग करता है तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा इसके उल्लंघन के मामले में सिविल और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें हर्जाना नुकसान की भरपाई और जेल की सजा शामिल हो सकती है। (प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1975 का अधिनियम संख्यांक 14)
- ट्रेडमार्क एक्ट 1999:** यह कानून ट्रेडमार्क की सुरक्षा करता है जो किसी व्यक्ति या संगठन की पहचान बनाता है ट्रेडमार्क के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस कानून का उपयोग किया जाता है। (व्यापार चिन्ह अधिनियम 1990 का अधिनियम संख्यांक 47)
- पेटेंट एक्ट 1970:** यह कानून आविष्कार और नवाचार के लिए पेटेंट सुरक्षा प्रदान करता है अगर कोई नई तकनीक या साहित्यिक आविष्कार होता है तो इस कानून के तहत उसे सुरक्षा मिलती है। (पेटेंट अधिनियम 1970 का अधिनियम 39)
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000:** इस अधिनियम के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट का उल्लंघन एक अपराध माना जाता है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है इसका उद्देश्य ऑनलाइन गतिविधियों में पारदर्शिता विश्वास और सुरक्षा सुनिश्चित करना है यह कानून भारत में अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का अधिनियम संख्यांक 21)
- भारतीय दंड संहिता (IPC) में प्रावधान:** आईपीसी में साहित्यिक चोरी को सीधे तौर पर एक विशिष्ट धारा के तहत

परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन इसके कुछ पहलू और परिणाम धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 463 और 465 (कूटनीति और जालसाजी), धारा 468 (जालसाजी के लिए धोखाधड़ी), धारा 469 (प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए जालसाजी), धारा 500 (मानहानि) इन धाराओं में 2 साल से 7 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम 2018:-** ये विनियम साहित्यिक चोरी रोकने के लिए निम्न प्रावधान करते हैं -

- प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान में एक ऐसे तंत्र की स्थापना करे जो शोध एवं एकेडमिक कार्यकलापों के दायित्वपूर्ण आचरण के प्रति जागरूकता लाने में संवर्धन करे साथ ही अकादमिक सत्यनिष्ठा को प्रोत्त्रत करें तथा साहित्यिक चोरी से बचाव करें।
- प्रत्येक पर्यवेक्षक एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा की शोधकर्ता द्वारा किया गया अमूक कार्य शोधकर्ता के द्वारा तथा मेरे अधीन रहकर किया गया है तथा यह साहित्यिक चोरी से मुक्त है।
- संस्थान सभी शोध प्रबंधन व शोध निबंधों को डिग्री प्रदान किए जाने के पश्चात् एक माह के भीतर शोधगंगा ई- रिपोजिटरी में जमा करने के लिए इसकी सॉफ्ट प्रतियोग प्रस्तुत करेगा।
- शोध प्रबंध के साथ साहित्यिक चोरी उपकरण से जांच के उपरांत प्राप्त रिपोर्ट संलग्न करेंगे।
- प्रत्येक शोध छात्र को शोध प्रबंध के साथ एक वचनबद्ध प्रस्तुत करना होगा जो उसके मौलिक लेखन कार्य साहित्यिक चोरी से मुक्ति का घोषणा पत्र है।
- साहित्यिक चोरी की परिभाषित करने के लिए उसकी गंभीरता के बढ़ते क्रम में साहित्यिक चोरी और उसके निमित्त दंड का निम्न प्रावधान किया गया है-

साहित्यिक चोरी का स्तर	समानता का स्तर	दण्ड का प्रावधान	
		शोध प्रबन्ध तथा शोध निबन्ध को प्रस्तुत करने में कोई दण्ड नहीं	शैक्षिक तथा शोध प्रकाशनों में कोई दण्ड नहीं
शून्य स्तर	10% तक समानताएं	ऐसे छात्रों को अधिकतम छः माह की विनिधारित अवधि के भीतर संशोधित अभिलेख जमा करना होगा।	कोई दण्ड नहीं उन्हें पाण्डुलिपि वापस लेने को कहा जायेगा।
प्रथम स्तर	10% से 40% तक	ऐसे छात्रों को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिये संशोधित आलेख जमा करने से वंचित किया जायेगा।	उन्हें पाण्डुलिपि वापस लेने को कहा जायेगा। उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकार से वंचित किया जायेगा। उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिये किसी नये निष्णात एम०फिल०, पी०एच.डी० छात्र का पर्यवेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
द्वितीय स्तर	40% से 60% तक समानताएं	ऐसे छात्रों को उस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण को रद्द कर दिया जायेगा।	उन्हें पाण्डुलिपि वापस लेने को कहा जायेगा। उन्हें लगातार दो वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकार से वंचित किया जायेगा। उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिये किसी नये निष्णात एम०फिल०, पी०एच.डी० का पर्यवेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
तृतीय स्तर	60% से अधिक समानताएं	ऐसे छात्रों को उस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण को रद्द कर दिया जायेगा।	उन्हें पाण्डुलिपि वापस लेने को कहा जायेगा। उन्हें लगातार दो वार्षिक वेतन वृद्धि के अधिकार से वंचित किया जायेगा। उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिये किसी नये निष्णात एम०फिल०, पी०एच.डी० का पर्यवेक्षण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

स्रोत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 23 जुलाई 2018

7. बार-बार साहित्यिक चोरी करने पर दंडित किया जाएगा यदि छात्र द्वारा की गई साहित्यिक चोरी पिछली बार की गई साहित्यिक चोरी से एक स्तर अधिक हो यदि सर्वोच्च स्तर की साहित्यिक चोरी की गई हो तो उसे कारागार दंड दिया जाएगा।
8. बार-बार साहित्यिक चोरी करने पर उन्हें एक स्तर ऊपर की साहित्यिक चोरी के लिए दंडित किया जाएगा यदि तृतीय स्तर के दोष की पुनरावृत्ति की गई हो तो उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा सेवा नियमों के अनुसार निलंबन/सेवा समाप्ति सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
9. उच्च शिक्षा संस्थान साहित्यिक चोरी का पता लगाने/जानकारी प्रदान करने तथा कार्यवाही करने के लिए विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा नाम सूची (डीएआईपी) तथा संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पैनल (आईएआईपी) का गठन करेगा।

## विवेचना

साहित्यिक चोरी लेखक के बौद्धिक संपदा, अधिकारों का उल्लंघन है जो शैक्षणिक और पेशेवर मानकों का उल्लंघन करता है इसलिये शोधकर्ताओं को अपने शोध लेखन में अपने सभी स्रोतों को ध्यान से उद्धत करना चाहिए अपने विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहिए यदि किसी लेखक के विचारों का उपयोग करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि यह विचार किसका है। शोध लेखक अपने कार्य को अपने चिन्तन से अपनी स्वयं की शैली में प्रस्तुत करें, न कि किसी पूर्व में स्थापित शब्दों या शैली में। यह तभी संभव है जब शोध लेखक साहित्यिक चोरी के विषय में जागरूक रहे। सामान्यतः देखा गया है कि सर्वाधिक साहित्यिक चोरी का प्रकार आकस्मिक साहित्यिक चोरी का है जिससे सर्वाधिक रहकर बचा जा सकता है, शोध का कार्य जल्दबाजी का नहीं है, इसे धैर्यपूर्ण व्यवस्थित ढंग से रिकार्ड करना चाहिए शोध की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मौलिकता व उसका योगदान है, यह तभी संभव है, जब कार्य की पुनरावृत्ति हो, अतः इससे बचने के लिये शोध निर्देशकों से मार्गदर्शक सलाह ले सकते हैं तथा सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण कर पुनरावृत्ति को रोका जा सकता है अपने विचारों के पक्ष में जिन तर्कों का शोधकर्ता उल्लेख करता है, उनका उद्वरण अवश्य दें। फुट नोट व एडनोट और संदर्भ सूची का उचित प्रयोग करें। नोट्स लेते समय शोध का शीर्षक, लेखक का नाम, पृष्ठ संख्या और प्रकाशन का नाम आदि शामिल करे साहित्यिक चोरी न हो उसका एक उपाय पैराफ्रेजिंग भी बहुतायत से प्रयोग किया जाता है किन्तु अधिकाश यहाँ भी उद्वरण का प्रयोग कम ही होता है, तो यह भी साहित्यिक चोरी की सीमा में आयेगा। अतः बेहतर है कि जहाँ से भी हम विचारों को ले चाहे अपने ही शब्दों में प्रयुक्त करे फिर भी उसके स्रोत का उद्वरण दें। तभी वह साहित्यिक चोरी की सीमा से बाहर है। अन्यथा वह भी एक प्रकार की साहित्यिक चोरी है। उद्वरण देने से शोधकर्ता को शोध की विश्वसनीयता व पारदर्शिता बढ़ती है तथा दूसरों के विचारों का, सम्मान भी प्रकट होता है, विचार चाहें पुस्तक से हो या किसी बेबसाइट से हो उसका स्रोत व वेब लिंक अवश्य संदर्भ में देना चाहिए इसे हम दो तरह से दे सकते हैं - इनटेस्ट साइटेशन तथा आउटटेस्ट साइटेशन। शोधकर्ताओं को दोनों तरह के साइटेशन के तरीके का प्रयोग अपने शोध लेखन में करना चाहिये जिससे उसके कार्यों व आकड़ों, विचारों, तर्कों आदि के संदर्भ का पता चल सके, और उनके स्वयं के मौलिक विचारों, तर्कों को समझा जा सके। अतः स्पष्ट है कि उद्वरण उद्धत करना साहित्यिक चोरी से बचने के प्रभावी तरीकों में से है। जिसका प्रयोग विषय के अनुरूप निर्धारित शैली जैसे एमएलए, एपीए, शिकागो, हारवर्ड, आईईई, वैकूवर, का प्रयोग करें। इसके साथ ही उद्वरण स्रोत को उद्धत करते समय उपयोगकर्ता को विल्कुल वैसे ही उद्वरण देना चाहिए जैसा वह दिखाई देता है, तथा यदि शोधकर्ता ने अपने पूर्व के काम का प्रयोग

किया है, तो अपनी स्वयं की सामग्री का भी हवाला देना चाहिए, शोधकर्ता जब आँकड़ों, तालिका, तथ्यों तथा चित्र आदि का प्रयोग करता है, तो उसके रूपों को भी उसके साथ लिखना चाहिए जिससे अकादमिक बेर्इमानी या शैक्षिक धोखाधड़ी से बचा जा सके। साहित्यिक चोरी से बचना शोध नैतिकता की आवश्यक शर्त है जिसकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम शोधकर्ता की फिर शोध निर्देशक की तत्पश्चात् शोध संस्थान की, शोध जर्नल्स तथा शोध निगरानी तंत्र की है। इसकी जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता। अतः सभी को सर्वाधिक रूप से शोध की अखण्डता, नैतिकता, पारदर्शिता तथा मौलिकता के लिए कटिबद्ध होना होगा तभी यह समस्या जड़ से समाप्त हो सकेगी।

## निष्कर्ष

शोध नवीन ज्ञान के सृजन एवं विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता एक प्रमुख भाग है साहित्यिक चोरी इसमें एक जंग की तरह है जो इसको खोखला कर सकती है साहित्यिक चोरी के कारण तो बहुत कम महत्वपूर्ण है परंतु इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं और इसको रोकने के लिए भी विभिन्न कानूनी प्रावधान मौजूद हैं परंतु इसकी शिथिलता और नियंत्रण तंत्र की कमियों के कारण साहित्यिक चोरी को पूरी तरह से नहीं रोक जा पा रहा है। हालांकि इसमें कभी आई है आवश्यकता इसके परिणाम एवं प्रभावों की जागरूकता फैलाने तथा बचाव के उपाय के प्रशिक्षण तथा साहित्यिक चोरी होने पर दंड के कड़ाई से पालन से ही संभव है शोधकर्ताओं में नैतिकता व सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के साथ-साथ संस्थागत स्तर पर साहित्यिक चोरी को पकड़ने वाले तंत्र की सक्रियता तथा जवाब देही की अत्यन्त जरूरत है।

## References

1. [www.scribber.com](http://www.scribber.com)
2. <https://ipindia.gov.in>
3. <https://guides.library.ucmo.edu>
4. [https://www.scanmyessay.com/plagiarism/consequerous\\_of\\_plagiarism.php](https://www.scanmyessay.com/plagiarism/consequerous_of_plagiarism.php)
5. <https://hindisarang.com/ugcguidelinesforplagiarism2018>
6. <https://smallseotool.com>
7. <https://www.plagiarism.com>
8. <https://copyright.gov.in>
9. <https://hi.wikipedia.org>
10. <https://meity.gov.in>
11. <https://indiakanon.org>
12. <https://www.grammarly.com>
13. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in>
14. <https://shodhshudhi.inflibnet.ac.in>
15. <https://www.indiacode.nic.in>
16. <https://www.latestlaws.com>
17. <https://www.ugc.ac.in>
18. Ministry of Education, Government of India. National Education Policy, 2020.
19. Wairyra F. Plagiarism and its Penalties: an Analysis blog ipleaders.in, 2021.
20. Tech, E.C & paull, M. Rechaing the prevalence of plagiarism: A model for stall students and universitis. In special issue: Teaching and Learning in higher education: Research. 2013; 23(2):283-298. <https://www.iier.org.au/iier23/teh.html>.
21. Selemani et al. why do post graduat students commit Plagiarism? An empirical study. International journal for educational integrity. 2018; 14(7):1-15. <https://doi.org/10.1007/s40979-018-0029-6>.